BSES

बिजली चोरी में स्पेशल कोर्ट्स का फैसलाः

व्यवसायी को दो साल की सश्रम कैद व 21.5 लाख जुर्माना किरायेदार को एक साल की जेल व 1.33 लाख जुर्माना

- जज ने कहा– बिजली चोरी एक कैंसर

नई दिल्लीः 15 नवंबर। 31 किलोवॉट बिजली की चोरी के जुर्म में कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोट ने एक व्यवसायी को दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 21.5 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थित में उसे और तीन महीने की साधारण कैद के तौर पर जेल में गुजारने होंगे।

उधर, साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने भी एक किरायेदार को 1 साल जेल की सजा सुनाई है और 1.33 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। अगर वह जुर्माने की रकम की भुगतान नहीं करता है, तो उसे और छह महीने जेल में बिताने होंगे।

बिजनेसमैन भंवर सिंह द्वारा की गई बिजली चोरी की सुनवाई के दौरान कड़ा रूख अपनाते हुए कड़कड़डूमा स्थित स्पेशल कोर्ट के जज श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा– दोषी भंवर सिंह को अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करते पाया गया था और इसलिए नरम रूख अपनाने का कोई आधार नहीं बनता। ऐसे में, न्याय का तकाजा है कि दोषी को 2 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई जाए।

अदालत ने उस पद 21.5 लाख रूपये का जुर्माना भी किया, जिसमें सिविल लायबिलिटी और फाइन, दोनों शामिल हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक, अगर जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भंवर सिंह को और तीन महीने साधारण कैद के तौर पर जेल में गुजारने होंगे।

जज श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने आदेश में वेस्टर्न सिंगर बिली जॉएल के हिट गाने वी डिड नॉट स्टार्ट द फायर का जिक्र करते हुए कहा कि यही बात लोग बिजली चोरी के बारे में कह सकते हैं– *हमने इसे शुरू नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता है कि यह हमेशा से हो रहा थी।*

बिजली चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने आदेश में कहा गया– संपन्न वर्ग को मिल रही सुविधाएं उनके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंच गईं। अब यह कैंसर की तरफ फैल गई है और बड़े पैमाने पर हो रही बिजली की चोरी अब डरावने स्तर पर पहुंच गई है। आज की तारीख में बिजली चोरी की वजह से करीब 12 प्रतिशत वितरण घाटे की सूचना है, और यदि इसे रूपये में बदला जाए, तो यह रकम करोड़ों में बैठेगी।

क्या है मामला

दरअसल, वर्ष 2006 में बीएसईएस ने दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के साथ मिलकर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर में एक जांच की थी, जिसमें बिजनेसमैन के यहां 31 किलोवॉट बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। इसमें से 22.6 किलोवॉट बिजली का उपयोग औद्योगिक कार्यों और 8.8 किलोवॉट बिजली का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए हो रहा था। उस वक्त, नियमों के मुताबिक, आरोपी बिजनेसमैन पर 11.26 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, लेकिन आरोपी ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उसके बाद गोकलपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई।

किरायेदार को 1 साल की जेल, 1.33 लाख जुर्माना

बीएसईएस की टीम ने पालम स्थित महावीर एन्क्लेव में एक जांच के दौरान 7 किलोवॉट बिजली की चोरी का पता लगाया। इस मामले में बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी की जा रही थी और मीटर को करीब 60 प्रतिशत धीमा कर दिया गया था। इसमें किरायेदार हरि ओम शर्मा पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, 1.30 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, जिसका भुगतान उन्होंने तय अवधि के दरम्यान नहीं किया।

दोनों ओर से लंबी बहस को सुनने के बाद बिजली की स्पेशल कोर्ट के जज श्री नवीन अरोड़ा ने आरोपी को इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 और 138 के तहत बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए उन्हें एक साल के साधारण के कैद की सजा सुनाई। उन पर 1. 33 लाख रूपये का जुर्माना का भी किया गया है, जिसमें सिविल लायबिलिटी और फाइन, दोनों शामिल हैं। अगर वह जुर्माने की रकम की भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और छह महीने जेल में बिताने होंगे।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।